संख्या-8/2026/I/1242408/2026/002-77-3099-230-2024

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
यीडा, गौतमबुद्धनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 17.02.2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेसवे तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 5801/यूपीडा/3319/3319/2024/भू0लेख दिनांक 08.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जेवर एअरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दशहर संपर्क एक्सप्रेसवे तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित यीडा के क्षेत्रान्तर्गत भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु धनराशि की मांग की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेवर एअरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दशहर संपर्क एक्सप्रेसवे तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु से आच्छादित यीडा के क्षेत्रान्तर्गत भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु धनराशि रू0 120400.00 लाख (रुपये बारह अरब चार करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

परियोजना का नाम	अवमुक्त धनराशि
जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेस-वे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु यीडा के क्षेत्रान्तर्गत भाग के भूमि क्रय हेतु	120400.00

(1) उक्त धनराशि तात्कालिक आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है , अनिवार्य रूप से उसी कार्य पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य् स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।

(8) उ 0 प्र 0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 1976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(10) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, बुलन्दशहर उत्तरदायी होगा।

(11) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि से भूमि का क्रय किये जाने में संगत अधिनियम एवं इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- उक्त के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या I/1242408/2026/002-77-3099-230-2024 दिनांक 17.02.2026 को निरस्त समझा जाये।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,04,00,00,000 (रुपये बारह अरब चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033371900 जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेस-वे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5.मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन गोमती नगर लखनऊ।
6.विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) बुलन्दशहर।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, बुलन्दशहर।

9.निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ
10.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12.वित्त नियंत्रक, यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।